सेवा में,

Date : 02/05/2023

Honorable judge and Expert Member,
National Green Tribunal,
New Delhi

विषय : Reply to report submitted to hon'ble court on dated 17/04/2023 by HSPCB on O.A 373/2022

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सुमित सैनी गांव निवासी दामला, जिला यमुनानगर, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। मेरे द्वारा माननीय न्यायलय में case No. 373/2022 याचिका दायर की गई है । जिसमे माननीय न्यायलय के आदेश पर HSPCB द्वारा इससे सम्बंधित Report दिनांक 17/04/2023 को कोर्ट मे पेश की गई है । मामले की अगली सुनवाई 04/05/2023 को निर्धारित की गई है । जिसके सम्बन्ध में, मैं अपना तर्क व कुछ तथ्य माननीय न्यायलय के सामने इस Letter के माध्यम से रखना चाहता हूं ।

Case No. : Status of Bricks kiln

मैं माननीय न्यायलय को सूचित करना चाहता हूं कि कोई भी brick kiln बन्द नही है ना शुरू मे थी ना अब है।

किसी भी bricks kiln के यहाँ पक्के रोड नही है । ना ही boundary wall और tree plantation है । जिससे धूल को रोका जा सके ।

HSPCB ने रिपोर्ट में अन्य विभागो की जो permission दिखाई है। वे भी expiry date की है। किसी रिपोर्ट में किसी विभाग की permission outdated है। किसी रिपोर्ट में अन्य विभाग की ।

हमे HSPCB की analysis report पर भी भरोसा नहीं है इन्होने कैसे sampling ली है जिससे particulate matter इतना कम आया है हो सकता है बिना firing के या कम firing में analysis की हो । Report मे Analysis units ही सही mention नहीं है। अन्य analysis जैसे sulphur content, CO etc की भी जांच नही की गई। कुछ brick kiln तो zig zag technology के भी नही लगती है। क्योकि इनकी अबकी और पिछली रिपोर्ट एक दूसरे से match ही नही करती। और Physically site देखने से भी ऐसा लगता है इसलिए इसकी सही जांच सुझाव के साथ CPCB से करानी चाहिए । ताकि सही रिपोर्ट सामने आ सके। और माननीय न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी सही उतर मिल सके।

आजकल तो वैसे भी particulates matter 24x7 मापने के online device market मे आ गए है। क्यो नही इनको plant मे install किया जाता है और जिसे कोई भी आम आदमी जब चाहे इन जैसी फैक्टरियो पर निगरानी रख सके। क्योकि pollution department के भरोसे तो कभी pollution से मुक्ति नही मिल सकती। ऐसे ही जब motor vehicle मे इंजन bs IV से bs VI हो सकता है व बार बार traffic rule का उलघन करने पर चालान कटने के साथ Licence सीज हो सकता है तो क्यो नही इन फैक्ट्रियों से काला धुआं निकलने पर शुरु मे जुर्माने का प्रावधान हो और बाद मे License cancel का। क्योकि काला धुआ ज्यादा हाइड्रोकार्बन की presence (जो कि गलत fuel जलाने से होता है) और सही से firing के ना चलते होता है। इस प्रकार अगर हम extra pollution control equipment लगवा भी देते है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये उनका use करेगे , क्योकि इससे फैक्ट्री की operation cost बढ जाएगी. Pollution department से तो हमे सही जांच की उम्मीद ही नहीं है। जबकि किसी भी व्यक्ति द्वारा stack emission में online monitoring से (जो कि company द्वारा अलग से company premises के बाहर बनवाया जाना चाहिए, जिसे कोई भी excess कर सके वो भी company के काम व security मे दखल दिए बिना) और धुएं की pictures लेने से इन फैक्ट्री संचालकों पर सही से rule follow करने का दबाव बढेगा। और सबको स्वच्छ हवा पानी मिलेगा। ऐसा ही water discharge के केस में होना चाहिए ।

माननीय न्यायलय के पास ही इन सबको सही करने की शक्ति है इसलिए हम सभी आपकी शरण मे बहुत उम्मीदो के साथ आए है। कृप्या करके हमारी जिन्दगी बचाने का न्याय करे।

Case No. : Status of SPS Bio chem pvt. Ltd.

मैं माननीय न्यायलय को सूचित करना चाहता हूं कि हमे न्याय के मंदिर मे खडा रह कर भी foul smell मे जिने पर मजबूर होना पड़ रहा है । M/s SPS Bio chem द्वारा press mud का storage करके गंदगी, ch_4 व CO_2 गैस, flies व बदबू गाँव मे फैलाई जा रही है । जिसमे इनके पास ना ही गाँव की local authority की permission है। ना ही ये plant गाँव के residential area से उचित दूरी पर स्थित है । बिना पूरा plant set-up हुए जैसे co_2 capturing unit व manure fertilizer , कैसे Department CTO की Permission दे रहा है। M/s SPS Bio chem व pollution department की मिलीभगत साफ साफ दिखाई दे रही है । और कैसे मान लें कि यें industry इतने pollution load के बाद भी Red category में नहीं आती है ।

इस प्रकार अपनी बाते रखते हुए मै माननीय न्यायलय से **request** करता हूं कि उपरोक्त बातों व तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हमे न्याय दिलवाने की कृपया करे। और इस कम्पनी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टे व बन्द करने के **order** दिए जाए। साथ ही जो हमारी **health, time,** और मानसिक प्रताडना हुई है उसका मुवावजा दिलवाया जाए।

धन्यवाद,

याचिकाकर्ता,

Sumit Saini
S/o Shri Rajinder saini, Kishan Pura Damla
Yamunanagar-135001, Haryana
Ph. 9034103390